कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक 2129 / 14–1 दिनांक, मुरादाबाद, 04 जनवरी , 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– जनपद अमरोहा में बदांयू–बिजनौर मार्ग (एन.एच–51) किमी0 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की खसरा संख्या–79, तहसील हसनपुर में एक रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे0 तथा **(संशोधित वन भूमि 0.075028 हे0)** संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी उपयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या 8 बी / यू.पी. / 06 / 45 / 2017 / एफ.सी. / 643 दिनांक 28.11.2017 तथा आपकी पत्र संख्या 1464 / 11 सी–अमरोहा, दिनांक 29.11.2017

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र **(दिनांक 28.11.2017)** द्वारा विषयक प्रस्ताव में इंगित की गई आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा ने अपने पत्र संख्या–1653 / 14–1,दिनांक 02–01–2018 द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या / अभिलेख की 3–3 प्रतियां मूल में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है–

Observ. No.	Observation of GOI	Reply
1	उपलब्ध कराये गये वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र में हाथ से सुधार किया गया है, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित भी नहीं किया गया है।	वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र पर कटिंग को प्रमाणित कर प्रमाणित छाया प्रति पुनः संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2	राज्य सरकार द्वारा प्रकरण में वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में छुट के लिए इस मामले में संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।	वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया गया है, कि प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के आसपास अपितु जनपद अमरोहा में आदिम जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नहीं करते हैं।
3	प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि की SOI टोपोशीट मूल रूप में नहीं प्रस्तुत की गयी है। अतः SOI टोपोशीट मूल रूप में प्रस्तुत की जाए।	प्रस्तावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि की SOI टोपोशीट मूल में संलग्न की जा रही है। **(संलग्नक–2)**

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या 2129 / 14–1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि – प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा को उनके पत्रांक–1653 / 14–1,दिनांक 02–01–2018 के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव / अभिलेख (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।